



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 828-पै०एवंआर०-२८/पाकालि/१४-१०८-पी/९०

दिनांक : 23 मई, 2014

कार्यालय ज्ञाप

विषय : उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि�०, एवं वितरण कम्पनियों तथा उ०प्र० ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि�० के पेन्शनर्स/पारिवारिक पेन्शनरों को दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन पर दिनांक 01 जनवरी, 2014 से मंहगाई राहत की लागू दरे।

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश संख्या : 3000 पै०एवंआर०-२८/पाकालि/१३-१०८-पी-३१/९०, दिनांक 13.12.2013, जिसके द्वारा पेन्शनरों/पारिवारिक पेन्शनरों को मंहगाई राहत दिनांक 01.07.2013 से 90% स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्य सरकार की अनुरूपता में दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित पेन्शन पर कारपोरेशन के समस्त पेन्शनर्स/पारिवारिक पेन्शनर्स को दिनांक 01 जनवरी, 2014 से मंहगाई राहत की 10 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- पेन्शनरों/पारिवारिक पेन्शनरों को अनुमन्य मंहगाई राहत में दिनांक 01 जनवरी, 2014 से 10 प्रतिशत की उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेन्शन पर अनुमन्य मंहगाई राहत की वर्तमान 90 प्रतिशत की दर बढ़कर 100 प्रतिशत हो जायेगी।
- मंहगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।
- पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1054-डब्लू०सी०/राविप-औ०सं-१९-१४(23) एफ-85 दिनांक 16.06.1988 में निर्गत आदेशानुसार पेन्शन पर अतिरिक्त राहत के भुगतान के लिये उपमहाप्रबन्धक (लेखा)/उपमुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेन्शन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई राहत का भुगतान उपरोक्त 1 से 3 के अनुसार किया जायेगा।
- मंहगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

अध्यक्ष

संख्या : 828-पै०एवंआर०-२८/पाकालि/१४ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि�०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि�०, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केरको-कानपुर/ट्रान्सकों, लखनऊ।

3. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/विद्युत वितरण कम्पनियाँ/ट्रान्सको।
5. पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/विधि अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/विद्युत वितरण कम्पनियाँ/ट्रान्सको।
8. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेन्शन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
10. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. अध्यक्ष, विद्युत पेन्शनर्स परिषद, 103-कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट, छितवापुर भुईयन, 12-आफ स्टेशन रोड, लखनऊ।
12. अध्यक्ष, फेडरेशन आफ यू०पी०, पेन्शनर्स एसोसिएशन, 18-बी, सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ।
13. मण्डल कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक, 1-2 रघुनाथ नगर, आगरा/156, सिविल लाइन, बरेली/लाल बाबू चौराहा, राजे बाबू रोड, बुलन्दशहर/अल्हादपुर, गोरखपुर/कानपुर रोड, झांसी/पी०एन०बी० हाउस, बिरहाना रोड, कानपुर/गुरुद्वारा रोड, इलाही काम्पलेक्स, निकट वेव सिनेमा, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ/प्रभात नगर साकेत, मेरठ/पी०एन०बी०, हाउस, राम गंगा बिहार फेस-॥, मुरादाबाद/68, कम्बलवाला बाग, मुजफ्फरनगर/एस 20/56 डी, द माल, कैनोडी रोड, वाराणसी।
14. प्रबन्धक, (सी०पी०पी०सी०), सेन्ट्रलाइज्ड पेन्शन प्रोसेसिंग सेन्टर पंजाब नेशनल बैंक हलवासिया मार्केट, लखनऊ।
15. ✓ अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. कट फाईल।

आज्ञा से,


(जावेद अहमद)
संयुक्त सचिव (अराजपत्रित)

